

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/ 16238 दिनांक 30/10/23

निमित्त:- अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा।

विषय - पाटडी से भटगाव सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/2019 (1.5ha)

संदर्भ:- MOEF & CC के सरकुलर दिनांक 29 जनवरी 2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में REC की बैठक अनुसार लगाई गई शर्त के क्रम में पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक प्रावधान) (MOEF & CC) के सरकुलर अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार निम्नानुसार है।

- 29 जनवरी 2018 के परिपत्र अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित शास्ती
 - उल्लंघन की दिनांक - 26.5.2008
 - कुल प्रभावित क्षेत्रफल- 1.5 है०
 - NPV की राशि- 957780 प्रति है०
 - शास्ती की गणना 26 मई 2008 से 30 सितम्बर 2023 तक
 $1.5 \times 5 \times 957780 = 7183350/-$
 - शास्ती की गणना 26 मई 2013 से 30 सितम्बर 2023 तक 12 % सामान्य ब्याज
 $7183350 \times (12/100) \times (124/12) = 8907354/-$
 - कुल शास्ती - $7183350 + 8907354 = 16090704$
- यदी प्रस्ताव जन उपयोगी प्रस्ताव है तो गणना का 20% शास्ती के रूपदेय होगा और शास्ती
 $16090704 \times (20/100) = 3218141/-$ होगी।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी FCA राज. जयपुर।
- समाग्रीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

क्रमांक : अअ/सानिवि/छबड़ा/2022-23/826

दिनांक : 16/11/2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक
बारां

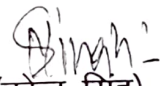
विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पाटरी से भटगौव (1.50 है०) वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव Proposal FP/RJ/ROAD/42427/2019 के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक एफ()/एफ.सी.ए./उव.सं./2022-23/10238 दिनांक 30.10.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि आप द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पाटरी से भटगौव वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक प्रावधान) (MOEF & CC) के सरकुलर दिनांक 29.01.2018 के परिपत्र अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित शास्ति राशि रु. 3218141/- लगायी गयी है।

अतः निवेदन है, कि उक्त पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक प्रावधान) परिपत्र दिनांक 29.01.2018 को जारी हुआ है तथा उक्त प्रकरण वर्ष 2008 तथा उल्लंघन की दिनांक 26.05.2008 है। अतः उक्त प्रकरण परिपत्र दिनांक 29.01.2018 से पूर्व का होने के कारण (दण्डात्मक प्रावधान) अनुसार शास्ति आरोपित नहीं होना चाहिए। साथ ही निवेदन है, कि उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा पूर्व में कुल राशि रु. 29,60,774/- जमा करवाये जा चुके हैं, जिसका उल्लेख भी प्रासंगिक पत्र में नहीं किया गया है। अतः प्रकरण की पुनः अवलोकन करवाया जाने का श्रम करावे।


(नरेंद्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./ 2023-24 /

दिनांक

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- पाटडी से भटगांव सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/20219 (1.5ha)

संदर्भ:- ऑनलाईन ई.डी.एस दिनांक 27.09.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा दिनांक 27.09.2023 को प्रकरण में ऑनलाईन ई.डी.एस जारी की गई थी। ई.डी.एस कि बिन्दु संख्या-4 के क्रम में The form of penalty payable as per rules due to FCA violation till date is not attached. चाहा गया था। इस क्रम में FCA उल्लंघन होने के कारण MOEF के परिपत्र 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि का डिमांडनोट जारी कर दिनांक 31.10.2023 को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर यूजर एजेन्सी को भिजवाया गया था। (प्रति संलग्न) जिसके प्रतिउत्तर में यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 826 दिनांक 16.11.2023 को अवगत कराया गया कि उक्त पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक प्रावधान) परिपत्र दिनांक 29.01.2018 को जारी हुआ है तथा उक्त प्रकरण वर्ष 2008 तथा उल्लंघन की दिनांक 26.05.2008 है। परिपत्र दिनांक 29.01.2018 से पूर्व का होने के कारण (दण्डात्मक प्रावधान) अनुसार शास्ती आरोपित नहीं होना चाहिए।

अतः निवेदन है इस संबंध में उचित मार्ग दर्शन देने की कृपा करे जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

59
(सागर पवार IFS)

उप वन संरक्षक

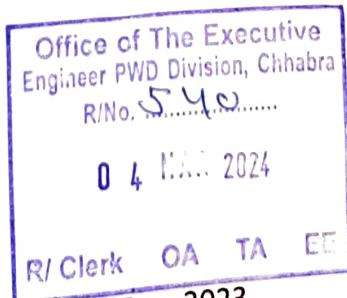
बारां

दिनांक 21/2/24

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./ 2023-24 / 1766-67

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।
- 2.अधिशायी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा को प्रतिलिपि दी जाकर लेख है कि प्रतिउत्तर कि प्रति पोर्टल पर ऑनलाईन भी अपलोड करे जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



3
(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
बारां

Auditor Chhabra
Bhargava
K.R.

E/PADTI TO BHATGAW ROAD 2023

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2023-24/2046

दिनांक: 23/4/24

निमित्त:-

उप वन संरक्षक

बारां ।

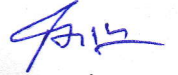
विषय:- पाटरी से भटगांव सडक निर्माण के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/RJ/ROAD/42427/2019 (1.5)

प्रसंग:- आपका पत्रांक 5128 दिनांक 01.04.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र से उप वन संरक्षक बारां ने आलौच्य प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने के कारण MOEF के परिपत्र 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि का डिमांडनोट जारी कर दिनांक 31.10.2023 को प्रयौक्ता अभिकरण को आनलाईन प्रेषित किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 826 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेनल (दण्डात्मक प्रावधान) परिपत्र दिनांक 29.01.2018 को जारी हुआ है तथा उक्त प्रकरण वर्ष 2008 तथा उल्लंघन की दिनांक 26.05.2008 है। परिपत्र दिनांक 29.01.2018 से पूर्व का होने के कारण (दण्डात्मक प्रावधान) अनुसार शास्ति आरोपित नहीं होने के संबंध में आप द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 2043 दिनांक 23.04.2024 से उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित की गई है। क्रम में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त मार्गदर्शन परिवेश पोर्टल पर ना मांगा जाकर पृथक से पत्र द्वारा मांगा जावें। अतः उक्त निर्देशों के साथ आपको ऑनलाईन प्रस्ताव पुनः लौटाये जा रहे हैं।



(रामकरण खैरवा)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2023-24/2047

दिनांक: 23/4/24

प्रतिलिपी:- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।



संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा